

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य  
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड, जिला बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 534 / 2011  
संस्थान दिनांक 18.11.2011

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, ठीकरी  
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

वि रु द्ध

रमेश पिता मेहकाल, आयु 30 वर्ष  
निवासी- माचक्यापुरा, ग्राम चितावल  
तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्त

// नि र्ण य //

(आज दिनांक 04.09.2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना ठीकरी द्वारा अपराध क्रमांक 172/2011 अंतर्गत 279, 337, 304-ए भा.द.सं. एवं धारा 77/177 में दिनांक 18.11.2011 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 31.11.2011 को रात्रि 7:30 बजे, गुरुद्वारा के पास ए.बी. रोड़ ग्राम ठान में मोटरसाईकिल क्रमांक एम. पी. 46 एम.डी. 2456 को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर फरियादीगण का मानवजीवन संकटापन्न करने, उक्त वाहन से फरियादी राधेश्याम को उपहति कारित करने तथा मांगीलाल का जीवन संकटापन्न होना संभव बनाकर उसे टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित करने जो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आती है, के संबंध में अभियुक्त पर धारा 279, 337 304-ए भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।
2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 31.10.2011 फरियादी राधेश्याम उसकी मोटरसाईकिल से मांगीलाल के साथ अपने खेत ग्राम खजूरी से ग्राम लिंगवा जा रहा था कि गुरुद्वारे के पास ए.बी. रोड़ पर ग्राम ठान की ओर से एक मोटरसाईकिल चालक अपनी मोटरसाईकिल को गलत दिशा से तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और फरियादी की मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी जिससे राधेश्याम एवं मांगीलाल गिर गये। मांगीलाल को सिर एवं आँख के नीचे चोंटें आई तथा फरियादी राधेश्याम को सीने में चोंटें आई। पुलिस ने रोजनामचा सान्हा क्रमांक 12 दिनांक 31.10.2011 पर दर्ज एम.एल.सी. की जाँच हेतु प्राप्त होने पर जाँच पर से आहत मांगीलाल को इन्दौर एम.व्हाय.एच. अस्पताल रेफर किया तथा आहत राधेश्याम के कथन लिये गये जिसके आधार पर वाहन हीरोहोण्डा स्पलेण्डर मोटरसाईकिल के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 172/2011 अंतर्गत धारा 279, 337 भा.द.सं. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्शपी 7 लेखबद्ध की। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने फरियादी राधेश्याम की निशांदेही से घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 1 बनाया। पुलिस ने वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 46 एम.डी. 2299 का नुकसानी पंचनामा प्रदर्शपी 2 बनाया। पुलिस ने घटनास्थल से मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 46 एम.डी. 2456 को जप्त कर प्रदर्शपी 3 का जप्ती पंचनामा बनाया तथा अभियुक्त के पेश करने पर उक्त वाहन के दस्तावेज एवं अभियुक्त की चालन अनुज्ञप्ति जप्त कर प्रदर्शपी 8 का जप्ती पंचनामा बनाया। पुलिस ने फरियादी एवं साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये तथा चिकित्सा के दौरान मांगीलाल की मृत्यु होने पर अभियुक्त के विरुद्ध संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग—पत्र अंतर्गत धारा 279, 337, 304—ए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री महेश कुमार सैनी, तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 337, 304—ए भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है कि —

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 31.11.2011 को रात्रि 7:30 बजे, गुरुद्वारा के पास ए.बी. रोड़ ग्राम ठान में मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 46 एम.डी. 2456 को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर फरियादीगण का मानवजीवन संकटापन्न किया ?

2. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर फरियादी राधेश्याम को टक्कर मारकर उपहति कारित की ?

3. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन से मांगीलाल को जीवन संकटापन्न होना संभव बनाकर उसे टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आती है ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में राधेश्याम (अ.सा.1), रमेश काग (अ.सा.2), गुल्लु उर्फ मुलाजसिंह (अ.सा.3), राजाराम (अ.सा.4), राजकिशोर सिंह चौहान (अ.सा.5), डॉ. रणजीतसिंह मुजाल्दा (अ.सा.6), डॉ. डी.एस. चौहान (अ.सा.7), मोतीलाल (अ.सा.8) एवं तुकाराम सिसोदिया (अ.सा.9) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

### **साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 लगायत 3 के संबंध में**

7. प्रकरण में आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त तीनों विचारणीय प्रश्न परस्पर सहसंबंधित होने से उक्त तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। इस संबंध में राधेश्याम अ.सा. 1 ने अपने कथन में बताया कि घटना लगभग 14-15 माह पूर्व की है। वह अपने खेत में ग्राम लिंगवा में मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 46 – 2299 से जा रहा था। उसके साथ मांगीलाल भी मोटरसाईकिल पर पीछे बैठा था। वह फोर लाईन गुरुद्वारे के पास पहुँचा कि ग्राम ठान की ओर से गलत दिशा से एक मोटरसाईकिल चालक अपनी मोटरसाईकिल को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और उसकी मोटरसाईकिल को सामने से टक्कर मार दी, जिससे वह तथा मांगीलाल मोटरसाईकिल सहित गिर गये तथा उन्हें चोटें आई। मांगीलाल एवं उसका पहले ठीकरी अस्पताल में तथा बाद में बड़वानी के शासकीय अस्पताल में ईलाज हुआ। चिकित्सा के दौरान मांगीलाल की मृत्यु हो गई। घटनास्थल से टक्कर मारने वाला मोटरसाईकिल चालक मोटरसाईकिल को लेकर भाग गया। उसने टक्कर मारने वाली मोटरसाईकिल का क्रमांक एवं चालक को भी नहीं देखा था। पुलिस ने उसकी निशांदेही से प्रदर्शपी 1 का नक्शा मौका पंचनामा बनाया था तथा नुकसानी पंचनामा प्रदर्शपी 2 का बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि जिस मोटरसाईकिल से टक्कर हुई थी उसका क्रमांक नहीं मालूम और चालक को भी नहीं देखा था। साक्षी ने स्वीकार किया कि वाहन तेज गति से आ रही थी। वाहन 30 से 40 की गति से आ रही थी।

8. रमेश काग पिता मोती असा 2 का कथन है कि वह मृतक मांगीलाल एवं आहत राधेश्याम को जानता है। ढेड़ वर्ष पूर्व उसे दुर्घटना के संबंध में मोबाईलन से सूचना प्राप्त हुई थी, तब वह तथा गाँव के लोग दुर्घटनास्थल पर गये थे, वहाँ पर मांगीलाल बेहोश अवस्था में पड़ा था और राधेश्याम भी दुर्घटनाग्रस्त अवस्था में पड़ा था। मांगीलाल व राधेश्याम को चिकित्सा हेतु ठीकरी अस्पताल ले गये थे, बाद में मांगीलाल को इन्दौर अस्पताल ले गये थे। चिकित्सा के दौरान मांगीलाल की मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने राधेश्याम की मोटरसाईकिल का नुकसानी पंचनामा प्रदर्शपी 3 का बनाया था। अभियोजन की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि घटनास्थल पर जब वह पहुँचे तब राधेश्याम एवं मांगीलाल की मोटरसाईकिल एवं टक्कर मारने वाली मोटरसाईकिल पड़ी हुई थी। मोटरसाईकिल क्रमांक एम. बी. 46 एम.डी. 2456 को घटनास्थल से प्रदर्शपी 3 के अनुसार जप्त किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि घटना उसके सामने नहीं हुई थी और उसने मोटरसाईकिल के चालक को भी नहीं देखा था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसे मोटरसाईकिल के क्रमांक एवं कम्पनी की जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे हस्ताक्षर चौकी पर करवाये थे, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने कोरे कागजों पर पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर किये थे।

9. गुल्लु असा 3 ने उसके पुत्र मांगीलाल और आहत राधेश्याम की ढेड़ वर्ष पूर्व दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि उसे घटना के संबंध में राधेश्याम ने कोई जानकारी नहीं दी है। इस साक्षी से सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से दुर्घटना के बाद वह रमेश के साथ दुर्घटनास्थल पर गया था अथवा राधेश्याम ने उसे घटना के संबंध में बताया था, यहाँ तक कि साक्षी ने पुलिस को प्रदर्शपी 4 का कथन देने से भी इंकार किया है।

10. राजाराम असा 4 का कथन है कि वह मृतक मांगीलाल एवं आहत राधेश्याम को जानता है। ढेड़ वर्ष पूर्व उसे दुर्घटना की सूचना प्राप्त हुई थी, तो वह ए.बी. रोड़ गुरुद्वारे गया था, वहाँ पर मांगीलाल एवं राधेश्याम की मोटरसाईकिल पड़ी हुई थी तथा जिस मोटरसाईकिल से टक्कर हुई थी, वह मोटरसाईकिल भी वही पर पड़ी हुई थी। साक्षी का यह भी कथन है कि राधेश्याम ने उसे बताया कि सामने से आ रही मोटरसाईकिल के चालक ने लापरवाहीपूर्वक मोटरसाईकिल चलाकर उसकी मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी थी। साक्षी के मृतक मांगीलाल की लाश का पंचायतनामा के सफीना फार्म प्रदर्शपी 5 तथा मृतक का नक्शा लाश पंचायतनामा प्रदर्शपी 6 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि वह अभियुक्त को नहीं जानता है। वाहन कौन चला रहा था उसे नहीं मालूम। उसके सामने घटना नहीं हुई थी। पुलिस ने पूछताछ कर हस्ताक्षर करवाये थे।

11. डॉ. रणजीतसिंह मुजाल्दा असा 6 का कथन है कि दिनांक 01.11.2011 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ठीकरी में थाना ठीकरी के आरक्षक रतनसिंह क्रमांक 232 द्वारा लाये जाने पर उसके द्वारा राधेश्याम पिता चम्पालाल का मेडिकल परीक्षण करने पर सीने में दर्द होना बताया था। उक्त बाहरी कोई चोट नहीं होना साक्षी ने बताया है। साक्षी ने आहत का चिकित्सीय परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 10 भी प्रमाणित किया है। साक्षी का यह भी कथन है कि दिनांक 02.11.11 को आरक्षक बिलवरसिंह द्वारा लाये जाने पर उसके द्वारा मृतक मांगीलाल के शव का परीक्षण किया था तथा शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 11 भी प्रमाणित किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि राधेश्याम को कोई बाहरी चोट नहीं थी और मांगीलाल की मृत्यु अंधरुनी चोंटें होने से हुई थी।

12. डॉ. डी.एस. चौहान असा 7 का कथन है कि उसने दिनांक 31.10.11 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ठीकरी में मांगीलाल पिता गुल्लु का मेडिकल परीक्षण करने पर उसे बेहोशी की अवस्था में पाया था। आहत के सिर के दाहिनी ओर सूजन होना पाई थीं। आहत गंभीर अवस्था में था तथा उसका प्राथमिक उपचार कर एम.व्हाय अस्पताल इन्दौर भेजा गया था। साक्षी ने आहत का चिकित्सीय परीक्षण प्रदर्शपी 16 भी प्रमाणित किया है।

13. राजकिशोर सिंह चौहान असा 5 का कथन है कि दिनांक 31.10.2011 को वह थाना ठीकरी में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को दुर्घटना में घायल मांगीलाल की प्री.एम.एल.सी. थाने से प्राप्त हुई थी। साक्षी का यह भी कथन है कि उसने दुर्घटना में घायल मांगीलाल के साथ राधेश्याम के कथन लिये गये थे, जिसमें उसने ए.बी. रोड गुरुद्वारे के पास गलत दिशा से एक मोटरसाईकिल ने तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाने और मांगीलाल की मोटरसाईकिल को टक्कर मारने वाली बात बताई थी, जिसके आधार पर उसने थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 172/11 प्रदर्शपी 7 का दर्ज किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 02.11.11 को मांगीलाल की मृत्यु हो गई थी, उसने दिनांक 03.11.11 को राधेश्याम की निशांदेही से घटनास्थल पहुँचकर प्रदर्शपी 1 का नक्शा मौका पंचनमा बनाया था। उसने मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 46 एम.डी. 2299 का नुकसानी पंचनामा बनाया प्रदर्शपी 2 का बनाया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं उसने मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 46 एम.डी. 2456 को प्रदर्शपी 6 के अनुसार जप्त किया था। उसने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था और उसने अभियुक्त से उक्त मोटरसाईकिल प्रदर्शपी 8 के अनुसार जप्त की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे।

14. बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि मेडिकल के आधार पर उसने रिपोर्ट लिखी थी और रिपोर्ट लेखबद्ध करते समय वाहन चालक का नाम नहीं दर्शाया गया था। वाहन कौन चला रहा था उसे नहीं मालूम। साक्षी ने स्वीकार किया कि घटनास्थल के आसपास कोई मकान नहीं है, केवल गुरुद्वारा है। घटनास्थल ए.बी रोड़ है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि साक्षियों के उसने हस्ताक्षर कोरे पंचनामों पर करवाये थे अथवा साक्षियों के समक्ष कोई वाहन जप्त नहीं किया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने साक्षियों के कथन मन से लेखबद्ध किये थे।

15. तुकाराम असा 9 का कथन है कि वह राधेश्याम एवं मांगीलाल को जानता है। लगभग 4-5 वर्ष पूर्व राधेश्याम एवं मांगीलाल की दुर्घटना हो गई थी। पुलिस ने उसके सामने राधेश्याम के बताये अनुसार उसकी मोटरसाईकिल का नुकसानी पंचनामा प्रदर्शपी 2 बनाया था जिसके डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके सामने घटनास्थल से एक मोटरसाईकिल हीरोहोण्डा प्रदर्शपी 3 के अनुसार जप्त की थी जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

16. मोतीलाल असा 8 का कथन है कि वह अभियुक्त रमेश को जानता है। घटना वर्ष 2011 की है। अभियुक्त रमेश की मोटरसाईकिल से मांगीलाल की दुर्घटना हो गई थी। अभियुक्त रमेश उसकी मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 46 एम.डी. 2456 चला रहा था। मोटरसाईकिल उसने नई क्रय की थी जिस पर नम्बर नहीं डला था। अभियुक्त रमेश उसकी मोटरसाईकिल से उसे ठीकरी तक छोड़ने आया था और उसके बाद वापस जा रहा था तो उसकी दुर्घटना सामने वाली मोटरसाईकिल से हो गई थी। अभियुक्त रमेश उसकी मोटरसाईकिल को घटनास्थल पर छोड़कर भाग गया था, फिर पुलिस के बुलाने पर वह अभियुक्त व मोटरसाईकिल को लेकर थाने गया था। उस दुर्घटना में चोंट आने पर मांगीलाल की मृत्यु हो गई थी। पुलिस को उसने दुर्घटना के संबंध में कथन दिये थे। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि अभियुक्त उसका रिश्तेदार है। उसे घटना की दिनांक व दिन नहीं मालूम। दुर्घटना उसके सामने नहीं हुई थी। घटना के समय वह पीथमपुर गया हुआ था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि अभियुक्त मोटरसाईकिल कैसे चला रहा था उसे नहीं मालूम, क्योंकि वह घटना के समय उपस्थित नहीं था।

17. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्शपी 7 में वाहन का क्रमांक एवं अभियुक्त का नाम नहीं लिखा है। किसी भी व्यक्ति ने अभियुक्त द्वारा घटना के समय मोटरसाईकिल चलाने के संबंध में कथन नहीं किये हैं। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध कोई भी अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

18. यह सही है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्शनी 7 में वाहन चालक का नाम एवं मोटरसाईकिल के क्रमांक का उल्लेख नहीं है, लेकिन मोतीलाल असा 8 का स्पष्ट कथन है कि अभियुक्त उसकी मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 46 एम.डी. 2456 चला रहा था और उसकी मोटरसाईकिल की दुर्घटना सामने वाले की मोटरसाईकिल से हो गई थी। साक्षी का यह भी कथन है कि अभियुक्त उसकी मोटरसाईकिल को घटनास्थल पर छोड़कर भाग गया था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि अभियुक्त उसका रिश्तेदार है। ऐसी स्थिति में साक्षी का मुख्य परीक्षण में किया गया कथन और भी अधिक प्रामाणिक माना जा सकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने किसी रिश्तेदार को किसी असत्य आपराधिक प्रकरण में झूठा नहीं फंसा सकता है, और इस साक्षी को बचाव पक्ष की ओर से यह भी सुझाव नहीं दिया गया कि वह अभियुक्त के विरुद्ध असत्य कथन कर रहा है। ऐसी स्थिति में घटना दिनांक को अभियुक्त द्वारा दुर्घटना कारित कर मांगीलाल की मृत्यु कारित करना प्रमाणित होता है। साक्षी का यह भी कथन है कि अभियुक्त मोटरसाईकिल कैसे चला रहा था उसे नहीं मालूम क्योंकि वह घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था, लेकिन अभियुक्त द्वारा घटना के समय तेजी एवं लापरवाही से मोटरसाईकिल चलाने के संबंध में राधेश्याम असा 1, राजाराम असा 4 के कथन पूर्णतः विश्वसनीय हैं। रमेश काग असा 2 ने मोतीलाल असा 8 की मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 46 एम.डी. 2456 को घटनास्थल पर पड़े रहने के संबंध में भी कथन किये हैं तथा जप्ती पंचनामा प्रदर्शनी 3 के अनुसार यह प्रमाणित होता है कि घटनास्थल ए.बी. रोड़ गुरुद्वारे के पास उक्त हीरोहोण्डा मोटरसाईकिल एम.पी. 46 एम.डी. 2456 क्षतिग्रस्त अवस्था में राजकिशोर सिंह चौहान असा 5 ने जप्त की थी। बचाव पक्ष की ओर से इस संबंध में ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है जिससे यह प्रमाणित हो कि अभियुक्त घटना के समय मोतीलाल असा 8 की उक्त मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 46 एम.डी. 2456 नहीं चला रहा था।

19. राधेश्याम असा 1 का यह भी कथन है कि मोटरसाईकिल चालक गलत दिशा से मोटरसाईकिल को लेकर आया था। ऐसी स्थिति में भी उक्त मोटरसाईकिल चला रहे अभियुक्त की उपेक्षा एवं उतावलापन होना प्रमाणित होता है, जिसका कोई भी खण्डन बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ है।

20. उक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियोजन यह प्रमाणीत करने में पूर्णतः सफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय एवं लोक मार्ग पर मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 46 एम.डी. 2456 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण ढंग से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा राधेश्याम को उपहति एवं मांगीलाल की मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में कारित की, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध भा.द.स. की धारा 279, 337, 304-ए का अपराध प्रमाणित होता है। अतः न्यायालय अभियुक्त रमेश पिता मेहकाल को उक्त धाराओं में दोषसिद्ध घोषित करता है।

21. प्रकरण की परिस्थितियों ओर अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त को परीविक्षा पर रिहा करना उचित प्रतीत नहीं होता है। सजा के प्रश्न पर अभियुक्त एवं उनके अधिवक्ता को सुना गया है। उनका यह निवेदन है कि अभियुक्त निर्धन, ग्रामीण एवं अशिक्षित है तथा विचारण का शीघ्रता से सामना किया है। अतः सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये।

22. यह सही है कि अभियुक्त विचारण के दौरान नियमित रूप से उपस्थित रहा है तथा निर्धन, ग्रामीण एवं अशिक्षित है, लेकिन समाज में बढ़ रहे लापरवाहीपूर्वक वाहन दुर्घटना के मामलों को देखते हुए अभियुक्त सहानुभूति का पात्र प्रतीत नहीं होता है। अतः न्यायालय अभियुक्त रमेश पिता मेहकाल को भा.द.स. की धारा 337 में दोषसिद्ध ठहराते हुए 1 माह के साधारण कारावास एवं रुपये 500/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर अभियुक्त 7 दिवस का साधा कारावास पृथक से भुगतेगा। भा.द.स. की धारा 304-ए में अभियुक्त को दोषसिद्ध ठहराते 1 वर्ष के सश्रम कारावास तथा रुपये 100/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर अभियुक्त 7 दिवस का सश्रम कारावास पृथक से भुगतेगा। उक्त दोनों सजाये साथ-साथ चलेगी। चूँकि भा.द.स. की धारा 279 का अपराध उक्त अपराधों में समाविष्ट है। अतः भा.द.स. की धारा 279 में पृथक से दण्डित नहीं किया जा रहा है। अभियुक्त द्वारा बिताई गई अभिरक्षा की अवधि कारावास की सजा में समायोजित की जाये। अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

23. अभियुक्त के न्यायिक अभिरक्षा में रहने हेतु द.प्र.सं. की धारा 428 का प्रमाण पत्र बनाया जाये।

24. निर्णय की एक प्रति अभियुक्त को निःशुल्क अविलंब दी जाये।

25. प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 46 एम.डी. 2456 दिनांक 22.11.2015 को उसके पंजीकृत स्वामी मोतीलाल पिता अनारसिंह, निवासी— रानापुर म.प्र. को सुपुर्दगीनामे पर दी गई। उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में स्वतः निरस्त समझा जाये। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये।

साक्षी को पढ़कर सुनाए एवं समझाएँ  
जाने पर सही होना स्वीकारा

मेरे निर्देश पर टंकित

(श्रीमती वंदना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.

(श्रीमती वंदना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.



न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक  
मजिस्ट्रेट , अंजड़ जिला बड़वानी (म0प्र0)

// धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत //

मैं श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
अंजड़, जिला-बड़वानी म0प्र0 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 534/2011 (शासन  
तर्फे पुलिस ठीकरी विरुद्ध रमेश) में अभियुक्त की निरोध अवधि का प्रमाण पत्र  
निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूँ-

अभियुक्त का नाम :- रमेश पिता मेहकाल, आयु 30 वर्ष  
निवासी- माचक्यापुरा, ग्राम चितावल  
तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी म.प्र.

गिरफ्तारी का दिनांक :- 04.11.2011

पुलिस रिमाण्ड की दिनांक :- निरंक

न्यायिक अभिरक्षा की दिनांक :- निरंक

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड़,  
जिला-बड़वानी, म0प्र0